न्यायालय सहायक कलक्टर बाप, जिला जोधपुर
बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

प्रतिवादी

बनाम 1. तहसीलदार बाप

वादी
...राम पुत्र मंगलाराम
...लाल पुत्र ठाकरराम
...विश्नोई निवासी सोनलपुरा
...ल बाप जिला जोधपुर

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

...स्व प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

... नम्बर :– 134/2018
... अधिवक्ता :–
श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी वादीगण एवं अप्रार्थी
पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप प्रार्थी एवं प्रतिवादी

दिनांक :– 13.01.2020

निर्णय

...वादी के वाद का सार संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि वादी की खातेदारी की खसरा ...7 रकबा 87.10 बीघा में से 30.00 बीघा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि सरहद मौजा ...रा पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट और सेटलमेंट ... से ही वादी के पूर्वजो का कब्जा काश्त था। सेटलमेंट के समय वादी के पूर्वज मजदूरी ...तु बाहर गांव चले गये थे इसलिए खसरा नंबर 597 रकबा 87.10 बीघा मे से 30.00 बीघा ...के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही कर राजकीय भूमि दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि पर ... पूर्वजों का कब्जा काश्त पीढियों से चला आ रहा था उन्होनें अपने जीवन काल में ही ...मि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टाके, पशुओं के बाडे इत्यादि बनाये थे। उक्त भूमि पर ... कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है वादी ने उक्त भूमि ...ग्न नजरी नक्शा अनुसार चारों और खुंटे रोप कर तारबंदी की हुई है। वादी उक्त भूमि ...ग्न नजरी नक्शा अनुसार अपनी खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसका ... पेश है।

...वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। ... पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने उक्त वाद में प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम ...पठित धारा 151 सी.पी.सी का पेश किया जो शामिल किया गया। प्रतिवादी पैरोकार ... ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सरकारी भूमि पर खातेदारी देने हेतु ...किया है। जिसमें वादी को हर वर्ष समय–समय पर सरकारी भूमि से बेदखल किया है ...दी का कभी भी विवादग्रस्त भूमि पर लगातार कई वर्षो तक कब्जा काश्त नहीं रहने से ... भूमि पर वादी खातेदारी अधिकारी प्राप्त नही कर सकता है। उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने ...ी को वाद कारण ही पैदा नहीं होने से तथा सरकारी भूमि की खातेदारी की घोषणा से ...ी द्वारा कभी भी 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया है जिसके अभाव में वादी का वाद ...ोग्य नहीं होने से इसी स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद ...त कथनों से तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वाद सावित नहीं होने से तथा वाद

Scanned by CamScanner

ने के अभाव में तथा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में वादी का वाद इसी
किये जाने योग्य है। वकील वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर
का उक्त वादग्रस्त भूमि पर पीढ़ियों से पुराना कब्जा बकाश्त है और वर्तमान
भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है इसलिए उक्त वादग्रस्त भूमि में उपनिवेशन
और उपनिवेशन नियमों तहत सरकारी भूमि पर कब्जाधारी व्यक्ति को कब्जा
ातेदारी दिये जाने के नियम है। वादी के नाम से समय समय पर खसरा
14 भी तैयार की गई है। जिससे साबित होता है कि वादीगण उक्त भूमि पर
ादी का वाद दस्तावेजात से साबित है। प्रतिवादी ने वादी को मौके से बेदखल
इसलिए उक्त वाद आवश्यक प्रकृति का होने से 80(2) सी.पी.सी. का नोटिस
पत्र पेश किया था। उक्त वाद में सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश
वाद में लागू नहीं होता है।
कारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध
अवलोकन किया गया। अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी
ा गया। वाद मनन अवलोकन व चिन्तन के पाया गया कि वादी द्वारा राजकीय
पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर उसके आधार पर घोषणात्मक वाद प्रस्तुत
तहसीलदार बाप ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि अप्रार्थी (वादी) अतिक्रमी है
क्रमण के आधार पर सरकारी भूमि को हड़पना चाहता है जो कि गलत है।
जरिये उक्त प्रार्थना पत्र के खारिज फरमाया जावे। प्रस्तुत वाद में किसी प्रकार
ि हेतु कोई सारवान तथ्य व दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस न्यायालय के विनम्र
भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर वादी
अधिकार प्रदान किया जाना उचित नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्चतर
भी समय समय पर किये गये निर्णयों के अनुसार यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया
र्फ एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।
धारा 151 सीपीसी के तहत इस प्रकार के प्रयोग, खर्चो तथा अनेक क्रियाओं के
होने वाले समय के लिये तुच्छ प्रवृति के वादों को प्रारम्भिक स्तर पर ही वाद को
जाना उचित है। ताकि न्यायालय का महत्वपूर्ण समय भी बचाया जा सके। उक्त
द हेतुक ही प्रकट नहीं हुआ तथा वादी द्वारा धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के
ा वाद के संलग्न प्रस्तुत 80 सी.पी.सी. के नोटिस की छूट का यथोपित तथा
तावेज के अभाव में विनाय वाद पैदा ही नहीं हुआ हो ऐसे वाद को स्वीकार नहीं
कता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा
अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी के मध्यनजर रखते हुए खारिज किया जाता है।

आदेश

ं का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का
या जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावाली फैसल शुमार
से कम हो।

र्णय सरे ईजलास आज दिनांक 13·01·2020 को सुनाया गया।

(महावीर-सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप जोधपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2020.01.20 11:52:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: